संख्या-612/2022/5246/002-111-Budget-2020

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ:: दिनॉक 06 दिसम्बर, 2022**

विषय:-जनपद सन्तकबीरनगर के मगहर स्थित संरक्षित स्मारक संतकबीरदास जी के समाधि/ मजार एवं गुफा में कतिपय कार्यों को कराये जाने की परियोजना हेतु द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-6030/6-1-1(यू0सी0/रा0यो0)/2022-22, दिनांक 18.11.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद सन्तकबीरनगर के मगहर स्थित संरक्षित स्मारक संतकबीरदास जी के समाधि/ मजार एवं गुफा में कतिपय कार्यों को कराये जाने की परियोजना हेतु चयनित कार्यदायी संस्था यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा तैयार किये गये आगणन के सापेक्ष शासनादेश सं0-428/2021/आई 94448/41-1002(001)/27/2021-111(बजट)/2020 दिनांक 03-09-2021 तथा शासनादेश सं0-53/2022/298/41-2022-111(बजट)/2020, दिनांक 22-02-2022 द्वारा निम्नवत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई थी :-

क्रमांक	परियोजना का नाम	आंकलित लागत	प्रशासकीय स्वीकृति	प्रथम किश्त के रूप में वित्तीय स्वीकृति	द्वितीय किश्त के रूप में वित्तीय स्वीकृति
1	जनपद संतकबीरनगर के मगहर स्थित संरक्षित स्मारक संतकबीरदास जी के समाधि एवं मजार परिसर में गेट का निर्माण एवं समाधि व मजार के दोनों तरफ एस0एस0 रेलिंग का निर्माण	9.36 लाख (जी0एस0टी0 सहित)	8.44 लाख + जी0एस0टी0 (वास्तविक भुगतान के आधार पर अनुमन्य)	रू0 04.68 लाख	299432.00
2	जनपद संतकबीरनगर के मगहर स्थित संरक्षित स्मारक संतकबीरदास जी के समाधि एवं मजार एवं गुफा की रंगाई पुताई का कार्य	8.99 लाख (जी0एस0टी0 सहित)	8.13 लाख + जी0एस0टी0 (वास्तविक भुगतान के आधार पर अनुमन्य)	रू0 04.49 लाख	256147.00
3	जनपद संतकबीरनगर के मगहर स्थित संरक्षित स्मारक संतकबीरदास जी के बगल में स्थित पाथ-वे के तीन तरफ एस 0 एस 0 रेलिंग तथा साइड डेवलेपमेण्ट का कार्य	9.80 लाख (जी0एस0टी0 सहित)	8.86 लाख + जी0एस0टी0 (वास्तविक भुगतान के आधार पर अनुमन्य)	रू0 04.90 लाख	276795.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

4	जनपद संतकबीरनगर के मगहर स्थित संरक्षित स्मारक संतकबीरदास जी के समाधि परिसर में रेड सैण्ड स्टोन लगाये जाने एवं कैम्पस में मिट्टी भराई का कार्य	9.51 लाख (जी0एस0टी0 सहित)	8.60 लाख + जी0एस0टी0 (वास्तविक भुगतान के आधार पर अनुमन्य)	रू0 04.75 लाख	रू0 282599.00

3- तत्क्रम में महानिदेशक, पर्यटन के सन्दर्भगत पत्र दिनांक 18.11.2022 द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र , कार्य प्रगति रिपोर्ट, गुणवत्ता प्रमाण पत्र, बार चार्ट व 24 बिन्दुओं की चेकलिस्ट आदि उपलब्ध कराते हुये प्रायोजना की अवशेष धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

4- उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रायोजनाओं के अवशेष कार्यो को कराने हेतु सारणी के स्तम्भ-10 में अंकित अवशेष धनराशि को श्री राज्यपाल इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करते हैं कि 1 सप्ताह में निदेशालय से जी0एस0टी0 का साक्ष्य प्रस्तुत किया जायेगा तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

क्र0 सं0	**योजना का नाम**	**प्रशासकीय स्वीकृति**	**टेण्डर लागत**	**12.5 % सेन्टेज चार्ज**	**1 % लेबर सेस**	**12 % GST**	**निविदा के अनुसार कुल लागत (4+5+6+7)**	**अब तक अवमुक्त की गयी धनराशि**	**अवशेष धनराशि 8–9**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	जनपद सन्तकबीर नगर के मगहर स्थित संरक्षित स्मारक संतकबीर दास जी की समाधि एवं मजार परिसर में गेट का निर्माण एवं समाधि व मजार के दोनो तरफ एस0एस0 रेलिंग का निर्माण।	8.44 लाख + GST (वास्तविक भुगतान के आधार पर)	रू0 7,67,432.00	रू0 95,929.00	रू0 7,674.00	रू0 92,092.00	रू0 9,63,124.00	रू0 7.67 लाख	**रू0 1,96,124.00**
2	जनपद सन्तकबीर नगर के मगहर स्थित संरक्षित स्मारक संतकबीर दास जी की समाधि एवं मजार व गुफा की रंगाई–पुताई का कार्य।	8.13 लाख + GST (वास्तविक भुगतान के आधार पर)	रू0 7,05,147.00	रू0 88,143.00	रू0 7,051.00	रू0 84,618.00	रू0 8,84,932.00	रू0 7.05 लाख	**रू0 1,79,932.00**
3	जनपद सन्तकबीर नगर के मगहर स्थित संरक्षित स्मारक संतकबीर दास जी के बगल में स्थित पाथ–वे के तीन तरफ एस0एस0 रेलिंग तथा साइड डेवलपमेन्ट का कार्य।	8.86 लाख + GST (वास्तविक भुगतान के आधार पर)	रू0 7,66,795.00	रू0 95,849.00	रू0 7,668.00	रू0 92,015.00	रू0 9,62,327.00	रू0 7.66 लाख	**रू0 1,96,327.00**
4	जनपद सन्तकबीर नगर के मगहर स्थित संरक्षित स्मारक संतकबीर दास जी की समाधि परिसर में रेड सैण्ड स्टोन	8.60 लाख + GST (वास्तविक भुगतान के आधार पर)	रू0 7,57,599.00	रू0 96,973.00	रू0 7,576.00	रू0 90,912.00	रू0 9,53,060.00	रू0 7.57 लाख	**रू0 1,96,060.00**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

	लगाये जाने एवं कैम्पस में मिट्टी भराई का कार्य।								
								कुल योग रू0 सात लाख अड़सठ हजार चार सौ तैंतालीस मात्र	रू0 7,68,443.00

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु पर्यटन अनुभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 03.09.2021 एवं दिनांक 22.02.2022 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है तथा निदेशालय द्वारा भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि किसी भी दशा में प्रायोजना की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि का भुगतान न हो तथा निविदा लागत के सापेक्ष लेबर सेस, सेन्टेज, जी0एस0टी0 वास्तविक एवं उक्त के सापेक्ष अन्य मदों का वास्तविक व्यय का नियमानुसार अनुमन्य भुगतान सुनिश्चित किया जाय। प्रायोजना की निविदा लागत व अन्य साक्ष्य एक सप्ताह के भीतर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक),अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07.06.2022 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-23/2022/बी-1-749/दस-2022-231/2022, दिनांक 04.11.2022 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(3) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। प्रश्नगत प्रायोजना हेतु आहरण वितरण अधिकारी द्वारा आवश्यकता से अधिक धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध नही करायी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04.11.2022 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(6) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(9) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) प्रायोजना में अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था**,** पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुये (तिथि सहित) सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) महानिदेशक पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 7**,**68**,**443 (रू0 सात लाख अड़सठ हजार चार सौ तैंतालीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-044 के लेखाशीर्षक 5452801040800 मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या-612/2022/5246/002-111-Budget-2020, तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. जिलाधिकारी संतकबीरनगर।
4. मुख्य कोषाधिकारी (जवाहर भवन) , उ0प्र0 लखनऊ।
5. श्री दिनेश कुमार उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7. प्रबंध निदेशक यू0पी0पी0सी0एल0, लखनऊ।
8. परियोजना प्रबंधक यू0पी0पी0सी0एल0 इकाई- 23 बस्ती ।
9. वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7 उ0प्र0 शासन।
10. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी बस्ती मण्डल सिद्धार्थनगर।
11. वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
12. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।